


तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

रोख
कम

26-3-21

पञ्जाबली पेशा हल वक्रील वही उपस्थित
वादी की ओर से 100/- रुपये का
नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प फूल 4-3-21
को पेश किया गया प्राथमिक बख्वाय
कार्गेशन रिपोर्ट के मुताबिक इन्फेस
डिक्री जारी की गई पञ्जाबली पर अन्य
कोई शेष कारण नहीं होने से फैसला
अग्रार लेकर जस तकमील दाखिल
दफतर हो।


उपसण्ड अधिकारी
लाहरी (बुन्ही)

पञ्जाब हाईकोर्ट
लाहौर



F P डिगरी ब मुकदमें इब्तदाई

(O 20, Rr 6, 7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

100/5 मध्ये का नोन
जु डिग्री 200 एम्प सलान

अज अदालत उपरकाए आधिकारी मुकाम धारकेरी

व इजलास श्री प्रमोद कुमार आर. ए. एस.

सुवा आत्मज भोज्या जार्ने वनाम (4) गगाराग पिता बारादीलाल जार्ने मीठा
मीठा ननेवासी ग्राम खेडिया दुर्जन ननेवासी ग्राम खेडिया दुर्जन तहसील
तहसील इन्द्रगड जिला बुन्दी इन्द्रगड जिला बुन्दी वर्ग 2 ए. 0 अ
वादी जार्ने जार्ने (2)

दावा बाबत 53 आर. टी. एक्ट

मुकदमा नम्बर 69/दावा/06 सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु टकरे व हाजिरी

मिनजानिब मुद्दई रुबरु

मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि
वादी का दावा आन्निम डिग्री किया जाता है मुदायलह का मशरूर रिपोर्ट
ख. न. 187/1 रुका 0.02 रुका ख. न. 253/3 रुका 0.17 रुका ख. न. 490 रुका 0.56 रुका
ख. न. 511/1 रुका 0.63 रुका ख. न. 541 रुका 0.81 रुका ख. न. 599 रुका 1.63 रुका
ख. न. 652/2 रुका 0.20 रुका ख. न. 659 रुका 0.12 रुका ख. न. 659 रुका 2.24 रुका
कुल अमरा रिता 9 योग रुका 6.39 रुका का मी वादी सुवा पुत्र भोज्या के
ख्याते में रहेगी तथा ख. न. 187/3 रुका 0.02 रुका ख. न. 253/1 रुका 0.17 रुका
ख. न. 511/2 रुका 0.63 रुका ख. न. 540 रुका 0.75 रुका ख. न. 573 रुका 1.23 रुका

निज मुबलिग वाबत खर्चा इन

मुकदमें के मय सूद बशरह फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख अदायगी तक का अदा करें। 26-3-2021

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख माह को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
ओहदा

उपस्थंड अधिकारी
धारकेरी (पुत्री)

| मुद्दई | रुपया | पैसे | मुदायलह | रुपया | पैसे |
|------------------------|-------|------|------------------------|-------|------|
| 1. स्टाम्प अर्जीदावा | | | 1. स्टाम्प अर्जीदावा | | |
| 2. स्टाम्प वकालतनामा | | | 2. स्टाम्प अर्जी | | |
| 3. स्टाम्प वजह सबूत | | | 3. महन्ताना वकील | | |
| 4. महन्ताना वकील | | | 4. खर्चा गवाहोंन | | |
| 5. खर्चा गवाहोंन | | | 5. फीस कमिश्नर | | |
| 6. फीस कमिश्नर | | | 6. बाबत इजराय हुकमनामा | | |
| 7. बाबत इजराय हुकमनामा | | | 7. मुत्तफरिक | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

2. मोहन पुत्र हजारीलाल निवासी खेडिया दुर्जन तहसील इन्द्रगढ जिला
3. प्रभु पुत्र हजारीलाल " " " " " "
4. गणेश पुत्र हजारीलाल " " " " " "
5. हीरा पुत्र हजारीलाल " " " " " "
6. जगन्नाथी बाई पुत्री हजारीलाल " " " " " "
7. हीराबाई पुत्री हजारीलाल " " " " " "
8. भूरीबाई केशा हजारीलाल " " " " " "
9. रामगोपाल पुत्र अर्जुन जगल मीठण निवासी खेडिया दुर्जन तहसील इन्द्रगढ
10. लक्ष्मण पुत्र अर्जुन " " " " " "
11. नन्दकिशोर पुत्र अर्जुन " " " " " "
12. रामफूल पुत्र अर्जुन उर्फ फूलचंद पुत्र अर्जुन " " " " " "
13. रामकल्याण पुत्र अर्जुन " " " " " "
14. प्रेमबाई पुत्री अर्जुन जगल मीठण " " " " " "
15. भयरीबाई केशा अर्जुन जगल मीठण निवासी खेडिया दुर्जन तहसील इन्द्रगढ
16. राजस्थान सरकार जम तहसीलकर इन्द्रगढ जिला बुन्दी
17. पवनचक्र भूमि विभास वरु बुन्दी


पारिवर्तिका

(पु)

उपसंगड अधिकारी
बुन्दी (बुन्दी)

2

अधिकारी
15 FEB 2021
सहायक निवासी (राज.)



69/कावा/06 राजस्थान
सुधा वनाम गंगाशम वनेशु F.D. दिनांक 26-3-2021

ख.न 583 रुका 1.07 ख.न. 587 रुका 0.92 छहर ख.न. 645 रुका
0.35 छहर ख.न. 652/1 रुका 1.15 छहर कुल किरा-9 योग रुका
61.29 छहर कृषि भूमि प्रार्थिवादी स. 1 लगायत 8 के हिस्से में रहेगी।
एव ख.न. 187/2 रुका 0.02 छे ख.न. 253/2 रुका 0.17 छहर ख.न.
542 रुका 0.81 छहर ख.न. 607 रुका 0.06 छहर ख.न. 618 रुका 1.42 छहर
ख.न. 619 रुका 1.41 छहर ख.न. 652/3 रुका 0.48 छहर ख.न.
655 रुका 0.95 छे. ख.न. 678 रुका 0.23 छे. ख.न. 686 रुका
0.22 छहर प्रार्थिवादी स. 9 के वाशिसान व प्रार्थिवादी स. 10 लगायत 15
के हिस्से में 'वाके शम खेडिया दुर्जन तहसील इन्द्रगढ में विस्थित
कृषि भूमि उपरोक्तानुसार रहेगी।

उपसुपंड अधिकारी
साखंडी (बन्धी)

आज दिनांक 09-07-2014 को न्यायालय
 इलाहाबाद अधिकाधी महोदय बाबरी के मुकदमा नं० 67/99/06
 में जारी आरम्भिक डिडी दिनांक 26.03.2008 की फाइन में
 प्राथमिक बंटवारा तैयार करने हेतु मुकाम लिटिगेशन पड़ुंक।

मुताबिक डिडी एवं रेकॉर्ड रवातेहाल की सहकति

से प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव निम्न प्रकार है -

① गंगाराम, मोहन प्रभु गणेश पि. हीर पि. हज्जीलाल जगन्नाथी
 हीरा सुब्बा हज्जीलाल धीरे नेक हज्जी बाल कोम मीन हा. देह
 खलेहा राहिन बरबरा

| ख. न. | रकबा | मिस्र | खान |
|-----------|------|----------------|-------|
| 187/3 | 0.02 | गै. प्र. खलिफा | - |
| 253/1 | 0.17 | बापरी 2 | 1.36 |
| 511/2 | 0.63 | नखी गी | 9.45 |
| 540 | 0.75 | नखी गी | 11.25 |
| 573 | 1.23 | नखी गी | 18.45 |
| 583 | 1.07 | नखी गी | 16.05 |
| 587 | 0.92 | नखी गी | 13.80 |
| 645 | 0.35 | नखी गी | 5.25 |
| 654/1 | 1.15 | नखी गी | 17.25 |
| योग खिलान | 6.29 | | 92.86 |

② बाबूलाल नरकेशोर फूलचन्द रामकलमाल पि. ओंकार प्रेम कुडी
 ओंकार भवतीबाई नेक ओंकार व महावीर हनुमान रामभरोस
 पि. रामगोपाल रामभूतिबाई सुडडीबाई पुत्रिका रामगोपाल
 कोम मीन हा. देह खलेहा राहिन बरबरा (नामः 5225 दि. 10-9-13
 से खलेहा रामकल का नाम फूलचन्द बने का कोडिशे उक्त)

| ख. न. | रकबा | मिस्र | खान |
|-------|------|----------------|-------|
| 187/2 | 0.02 | गै. प्र. खलिफा | - |
| 253/2 | 0.17 | बापरी 2 | 1.36 |
| 542/1 | 0.21 | नखी गी | 12.15 |
| 607 | 0.08 | नखी गी | 0.90 |
| 618 | 1.42 | नखी गी | 21.30 |
| 619 | 1.41 | नखी गी | 21.15 |
| 652/3 | 0.48 | नखी गी | 7.20 |

अधी

4

इलाहाबाद अधिकाधी
 बाबरी (नरको)

| ख.सं. | रकबा | किसम | खजान |
|-------|---------|-------|-------|
| 655 | 0-95 | नखी-1 | 14.25 |
| 678 | 0-23 | नखी-1 | 3.45 |
| 686 | 0-22 | नखी-1 | 3-30. |
| | | | 85.06 |
| ग्रोज | बिला-10 | 5.77 | |

③ सुवा फुज मोजा कोम मीन सा. डेह कावेडा राहिन नखी

| ख.सं. | रकबा | किसम | खजान |
|--------------|------|----------------|-------|
| 187/1 | 0-02 | गै.पुं. खलिपान | - |
| 253/3 | 0-17 | बाणी-2 | 1.26 |
| 490 | 0-56 | नखी-1 | 8.40 |
| 511/1 | 0-63 | नखी-1 | 9.45 |
| 541 | 0-81 | नखी-1 | 12.15 |
| 588 | 1-63 | नखी-1 | 24.45 |
| 652/2 | 0-20 | नखी-1 | 3.00 |
| 658 | 0-12 | नखी-1 | 1.80 |
| 659 | 2-24 | नखी-1 | 33.60 |
| ग्रोज किला-9 | | | 6-38. |
| | | | 94.21 |

प्राथमिक बंधक रिपोर्ट देकर कर उपस्थित पत्रकार के हस्ताक्षर करके रिपोर्ट खिमान की लेख में अग्रिम कार्यवाही हेतु सावर प्रेषित है।

पञ्चमी रेवापुर।

सुवा लाल
गजकेशोर
शामकलषाण
हनुमान मीना

गणेशराम मोहनलाल
फूलचन्द्र
हीरा लाल

शा.जा.
उपस्थित अधिकारी 8
बाबरी (बुन्दो)

ग्रामपालिका उपरवटु अधिकारी, लाजेरी (जिला बुन्दी)

पीठासीन अधिकारी - श्री तेजा राम चौधरी R.O.S

पुक्रा सं 69/06

फिल्ल पुकरण दावा

वासीय संख्या 19.8.06

उपनाम

शुवा माउमोजा गति मीळ निःशुभ खेडिया दुर्ग पोस्ट रेकारपुडा
लहरील इन्डगद जिला बुन्दी (राज.)

...वासी...

अनाम

1. गंगाराम आयु 60 वर्ष
2. मोहन आयु 52 वर्ष
3. पुत्र आयु 48 वर्ष
4. गणेश आयु 44 वर्ष
5. हीर आयु 40 वर्ष

श्री श्री राजू लाल गति मीळ निवासीगद
शुवा खेडिया दुर्ग पोस्ट रेकारपुडा वासा
लाजेरी लहरील इन्डगद.

6. गंगाराम बाई पुत्री श्री राजू लाल एवं पति श्री रतन लाल
गति मीळ निःशुभ रेकारपुडा वासा लाजेरी

7. हीरबाई पुत्री राजू लाल एवं पति श्री रामनिवास मीळ गति मीळ
गति मीळ निःशुभ मुख लागू (वीरन का नोताडा) पोस्ट मीळा लहरील
के.पा.रन जिला बुन्दी


8. श्री बाई बेका श्री राजू लाल गति मीळ निःशुभ खेडिया दुर्ग
पोस्ट रेकारपुडा वासा लाजेरी

9. रामगोपाल आयु 52 वर्ष
10. बाबू लाल आयु 47 वर्ष
11. नन्द किशोर आयु 44 वर्ष
12. रामधुल आयु 40 वर्ष
13. रामबल्लाण आयु 33 वर्ष

श्री श्री बांका गति मीळ निवासी
खेडिया दुर्ग पोस्ट रेकारपुडा वासा
लाजेरी लहरील इन्डगद जिला बुन्दी

14. प्रेमबाई पुत्री श्री बांका लाल एवं पति श्री लक्ष्मी नारायण
गति मीळ निःशुभ करीपिया वी खेडिया पोस्ट रेकारपुडा लहरील
के.पा.रन

15. मेवरी बाई आयु 70 वर्ष बेका बांका गति मीळ निःशुभ खेडिया
दुर्ग पोस्ट रेकारपुडा वासा लाजेरी


अधिकारी
लाजेरी (बुन्दी)

...१...

- 16. राजस्थान सरकार गैर तहसीलदार का इन्डगद जिला इन्दी
- 17. पब्लिक भूमि विकास अधिकारी के. इन्दी (राज.)

..पी.वादीगण . -

निर्णय

दिनांक: 26.3.2009

वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान रिकेन्सी एक्ट 1956 के अन्तर्गत कट कथन किया है कि अगस्त 2062 से 2065 के अनुसार बाकि जाम मेरिया दुर्जन पत्रार हक्का रेवापुरा तहसील इन्डगद जिला इन्दी में कुर्छि भूमि खाता सं० नमी 16 पुरानी 25 की ख.न. 187 एकबा 0.06 हे. ख.न. 253 एकबा 0.51 हे. ख.न. 490 एकबा 0.56 हे. ख.न. 511 एकबा 1.26 हे. ख.न. 540 एकबा 0.75 हे. ख.न. 541 एकबा 0.81 हे. ख.न. 542 एकबा 0.81 हे. ख.न. 573 एकबा 1.23 हे. ख.न. 583 एकबा 1.07 हे. ख.न. 587 एकबा 0.92 हे. ख.न. 588 एकबा 1.63 हे. ख.न. 607 एकबा 0.06 हे. ख.न. 618 एकबा 1.42 हे. ख.न. 619 एकबा 1.41 हे. ख.न. 645 एकबा 0.35 हे. ख.न. 652 एकबा 1.83 हे. ख.न. 653 एकबा 0.95 हे. ख.न. 658 एकबा 0.12 हे. ख.न. 659 एकबा 2.24 हे. ख.न. 678 एकबा 0.23 हे. ख.न. 686 एकबा 0.22 हे. कुल कीला 21 कुल एकबा 18.44 हे. भूमि स्थित है / उक्त कुर्छि भूमि में प्रतिवादी सेव्या 1 अगस्त 8 का हिस्सा 1/3 प्रतिवादी सेव्या 9 अगस्त 15 का हिस्सा 1/3 एवं वादी का हिस्सा 1/3 राजस्व रिपोर्ट में अंकित है यह हिस्से पर सरकारान वादपत्र में अंकित भूमि पर अपने अपने हिस्से पर आपसी सहमति से काबिल बेखर काइलकारी करते बने आ रहे हैं. संयुक्त खाता होने से परसकमान के अज्ञान पिछर अदा करने पर भुजडा होला है एवा राजकीय योजनाओं का काम लेने से काबिल बेखर संयुक्त खाता होने से होती है जिससे उक्त योजनाओं का काम नहीं मिलता है। वादी ने कई बार प्रतिवादीगण से वादगर्कित भूमि का बेखरा कया जाकर अलग-2 अपने अपने खाते लगाने के लिए निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण ने कोई ध्यान नहीं दिया। वादी को अधिकार है कि वह कुर्छि भूमि का बेखरा कराए अपना हिस्सा 1/3 भाग को अपने खाते लगाने। वादी ने प्रतिवादीगण से अनियम और 4 अक्टूबर 2006 को बेखरा कराने हेतु निवेदन किया परन्तु प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया। अभी वाद काबल है। अन्त में निवेदन किया कि

राद वादी कुर्छि भूमि का विधिवत रूप से बेखरा किया जाकर प्रतिवादी


(Signature)
 राजस्थान सरकार
 वादी (इन्दी)

सं०। लगायत 8 के हिस्से में 1/3 एवं प्रतिवादी एवं 9 लगायत 15 के हिस्से में 1/3 एवं वादी के हिस्से में 1/3 भाग का खाते में अंकन किया जावे एवं वादी एवं प्रतिवादीगण का स्ती अनुसार शकल रेकर्ड में अंकन प्रमाण्य जावे तथा अन्य न्यायोचित सहायता प्रमादी गन्डे ।

प्रतिवादी संख्या 4, 5, 9, 11, 12 व 13 की ओर से कोई प्रतिवादीपत्र पेश नहीं किया गया है प्रतिवादी एवं 16 के विरुद्ध दिनांक 21.9.06 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रतिवादी गण 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 एवं 14, 15 के विरुद्ध दिनांक 14.3.07 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 17 की ओर से दिनांक 14.3.07 को प्रतिवादी पत्र प्रस्तुत कर भिवेक किया है कि प्रतिवादी के अटकल होने के उक्त हिस्से में प्रकृतता किये किन्तु वादी का वाद अंतवाय अमल में पोषणीय नहीं होने से स्वीकृत होने योग्य है यदि आरंभ का अंश किया जाता है तो शकल एवं खातेदार के हिस्से में अटकल के हिस्से की मुद्दा हेतु रिपोर्ट जमावेदी में अटकल होने आमत 2-टाक अंकित हुये बिना शकली सह खातेदार अंशमा करने का अधिकारी नहीं है। अतः वादी का वाद मय अंश स्वीकृत प्रमाण्य जावे ।

वकील वादी ने अपने वादपत्र के अमल में जमावेदी एवं 2062 से 2065 मध्याह्न शकल अंश में हुंकि एवं अमल गिरदावरी शकल अंश में हुंकि सं० 2062 पेश की तथा श्री विरु हाइय में वादी मुकदमा अंश, मोडू लाल एवं अड्डर लाल भीक किं अंश में हुंकि एवं राजेन्द्र प्रसाद एवं धोली लाल गति भीक किं अंश में हुंकि के शपथ-पत्र पेश किये। प्रतिवादी गण की ओर से कोई अलावेजी हाइय पेश नहीं की गई है।

वकील अयपक्ष की अहस सुनी गई। वकील वादी ने अंश में अहस वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा भिवेक किया कि वादी एवं प्रतिवादीगणों के मध्य शकल रेकर्ड के अनुसार शकल प्रकृत-2 खातों का अंकन किया जावे। वकील प्रतिवादी एवं 4, 5, 9, 11, 12 व 13 ने no-objection plead किया तथा प्रतिवादी एवं 17 के जवाब में अंकित तथ्यों को ही दोहराया है।



अनंद क. चावरी
(वकील)

1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकित है जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज करते चले आ रहे हैं तथा संयुक्त रूप से ही उक्त वाद विलीन आगामी वी लगान एवं पिछाई सदा करते चले आ रहे हैं। अतः वाद वादी प्राथमिक डिप्टी कमिश्नर आदेश दिये जाते हैं कि वाद विलीन आगामी खाता संख्या 16 के ख.न. 1872 रुबा 0.06 है. ख.न. 253 रुबा 0.51 है. ख.न. 490 रुबा 0.56 है. ख.न. 511 रुबा 1.26 है. ख.न. 540 रुबा 0.75 है. ख.न. 541 रुबा 0.81 है. ख.न. 542 रुबा 0.81 है. ख.न. 573 रुबा 1.23 है. ख.न. 583 रुबा 1.07 है. ख.न. 587 रुबा 0.92 है. ख.न. 588 रुबा 1.63 है. ख.न. 607 रुबा 0.06 है. ख.न. 618 रुबा 1.42 है. ख.न. 619 रुबा 1.41 है. ख.न. 645 रुबा 0.35 है. ख.न. 652 रुबा 1.83 है. ख.न. 655 रुबा 0.95 है. ख.न. 658 रुबा 0.12 है. ख.न. 659 रुबा 2.24 है. ख.न. 678 रुबा 0.23 है. ख.न. 686 रुबा 0.22 है. कुल कीमत 21 रुब रुबा 18.44 है. इस से अच्छी से सं अच्छी जगहों में ठे पुंरी इर्षि भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में बंधन कले हेतु लहरीलकर इन्डगद को कमिश्नर भिसुब किया जाता है कि वह उक्त विवादित भूमि में से करीक 1/3 हिस्सा प्रतिवादी 1 लगान 8 का हिस्सा 1/3 एवं प्रतिवादी संख्या 9 लगान 15 का हिस्सा - 1/3 मुताबिक राजस्व रिकार्ड कायम करे। कमिश्नर कीस 2001 रूपरे वादी मुगतान करे तथा वादी मुवा आभोजन का उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा सहित भूमि विकास - लहरील कर, पुन्दी के नाम परमान अंकन राजस्व रिकार्ड अनुसार बदलव जाती रहेगा।

उपरोक्त अधिकारी
बाबरी (बुंदी)

लहरीलकर, इन्डगद शुल्क आदेश बंधन उत्पन्न संयुक्त नंबर
ट्रेस के अधीन भिजवावे।

मिलियन मुले मामालय में अति दिनांक 26.3.2009 को
लिखवाया जाकर मुकामा गया।


(लेजा राम चौधरी)
उपरोक्त अधिकारी
बाबरी (बुंदी)